रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2010/आश्विन 16, 1932
No. 570] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2010/ASVINA 16, 1932

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2010

सा.का.नि. 824(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 1 अगस्त, 2007 को प्रवृत हुए समझे जाएंगे :

परंतु निगम द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि कोई वर्ग I अधिकारी निगम को लिखित सूचना देता है जिसमें वह इन नियमों के प्रवृतत होने की तारीख से अपूर्व और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अपश्चात् किसी तारीख से इन नियमों के उबपंधों से शासित होने का अपना विकल्प अभिव्यक्त करता है, तो निगम आदेश द्वारा ऐसे अधिकारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने की अनुज्ञा दे सकता है । इस प्रकार चयनित तारीख से पूर्व की अवधि के लिए ऐसे अधिकारी को कोई बकाया संदेय नहीं होगा ।

(3) ये नियम उन वर्ग I अधिकारी को लागू होंगे जो निगम के स्थायी स्थापन में 1 अगस्त, 2007 या उसके पश्चात् पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे :

परंतु यह कि ऐसे अधिकारी, जिनका भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन तारीख 1 अगस्त, 2007 से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, पुनरीक्षण के कारण बकाया के पात्र नहीं होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 में,--

(i) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4. वर्ग I अधिकारियों के वेतनमान : वर्ग I अधिकारियों के वेतनमान निम्नलिखित के अनुसार होंगे :

(1) (i) क्षेत्रीय प्रबंधक (ii) मुख्य इंज़ीनियर/मुख्य वास्तुविद	(क) सामान्य वेतनमान : 46610-1400(5)-53610 रुपए (ख) चयन वेतनमान : 52210-1400(2)-55010-1500(1)-56510-1640(1)-58150-1700(1)-59850
(2) (i) उप क्षेत्रीय प्रबंधक/ ज्येष्ठ मंडल प्रबंधक (ii) उप मुख्य इंजीनियर/ उप मुख्य वास्तुविद	41660-1200(3)-45260-1350(2)-47690
(3) (i) मंडल प्रबंधक/ (ii) अधीक्षण इंजीनियर/ ज्येष्ठ संकर्म सर्वेक्षक/ ज्येष्ठ वास्तुविद	34460-1200(7)-42860
(4) (i) सहायक मंडल प्रबंधक/ ज्येष्ठ शाखा प्रबंधक (ii) कार्यपालक इंजीनियर/ संकर्म सर्वेक्षक/ उप ज्येष्ठ वास्तुविद	28160-840(1)-29000-910(6)-34460-1200(4)-39260
(5) (i) प्रशासनिक अधिकारी/ शाखा प्रबंधक (ii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर/ सहायक संकर्म सर्वेक्षक/ वास्तुविद	23120-840(7)-29000-910(6)-34460
(6) (i) सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक शाखा प्रबंधक (ii) सहायक इंजीनियर/ सहायक वास्तुविद	17240-840(14)-29000-910(4)-32640

टिप्पण : विभिन्न क्रम संख्यांकों के अधीन प्रविष्टि (ii) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के संबंध में पृथक् ज्येष्ठता सूची रखी जाएगी ।

(ii) नियम 4क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4क. वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर मूल वेतन में वृद्धि-कार्य अभिलेख के समाधानपूर्ण पाए जाने के अधीन रहते हुए,--

(क) सहायक प्रशासनिक अधिकारी के वेतनमान में के ऐसे अधिकारी को, जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष के लिए उसके वेतनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य मूल वेतन में वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी किंतु ऐसी वृद्धियां अधिकतम तीन होंगी :

परंतु कोई अधिकारी, यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् या ऐसी वृद्धियां लेने के पश्चात् तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन से पूर्व मूल वेतन में ऐसी वृद्धि पाने का हकदार नहीं होगा ;

(ख) सहायक प्रशासनिक अधिकारी के वेतनमान में के ऐसे अधिकारी को, जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष के लिए उसके वेतनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य मूल वेतन में वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी किंतु ऐसी वृद्धियां अधिकतम पांच होंगी :

परंतु कोई अधिकारी, यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् या ऐसी वृद्धियां लेने के पश्चात् तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन से पूर्व मूल वेतन में ऐसी वृद्धि पाने का हकदार नहीं होगा ;

(ग) सहायक मंडल प्रबंधक के वेतनमान में के ऐसे अधिकारी को, जो उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष के लिए उसके वेतनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य मूल वेतन में वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी किंतु ऐसी वृद्धियां अधिकतम दो होंगी :

परंतु कोई अधिकारी, यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् या ऐसी वृद्धियां लेने के पश्चात् तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन से पूर्व मूल वेतन में ऐसी वृद्धि पाने का हकदार नहीं होगा ;

परंतु जहां किसी अधिकारी को लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन या मूल वेतन में ऐसी अंतिम वृद्धि से, (यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात्वर्ती मास के पहले दिन या मूल वेतन में ऐसी अंतिम वृद्धि से जिसे इसमें इसके पश्चात् "सुसंगत तारीख" कहा गया है) मूल वेतन में खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट ऐसी वृद्धि अनुदत्त नहीं की जाती तो उसका मामला, सुसंगत तारीख से संगणित की जाने वाली सेवा के बारह मास पूर्ण करने के पश्चात्वर्ती मास या ऐसे पुनरीक्षण की तारीख से उस प्रत्येक कलेंडर वर्ष में पुनरीक्षण के लिए तब तक रखा जाएगा जब तक कि उसके मूल वेतन में ऐसी वृद्धि अनुज्ञात न की जाए और तत्पश्चात् यदि ऐसी वृद्धि अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया जाता है तो वह उस कलेंडर वर्ष जिसमें विनिश्चय किया गया हे के उस मास की पहली तारीख से प्रभावी होगा जिसमें पुनरीक्षण किया जाना था ।

स्पष्टीकण – इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'कलेंडर वर्ष' से अभिप्रेत है "1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि ।" ;

(iii) नियम 5 में,–

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) वर्ग I अधिकारी को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा :-

(क) सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

(ख) आधार : 1960 = 100 की श्रृंखला में सूचकांक सं. 2944

(ग) दर : अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 2944 प्वाइंट के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार प्वाइंट के लिए वर्ग I अधिकारी को वेतन के 0.15 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण -- इस नियम के प्रयोजनार्थ, "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन, जिसमें इन नियमों के नियम 4क के अधीन यथा उपबंधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् मूल वेतन में वृद्धियां भी सम्मिलित हैं ।

(ख) उपनियम (2) में "2328 प्वाइंट से ऊपर होने पर 2328-2332-2336-2340" अंकों और शब्दों के स्थान पर "2944 प्वाइंट से ऊपर होने पर 2944-2948-2952-2956" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) नियम 6 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) वर्ग I अधिकारी का, सिवाए उनके जिनको निगम ने निवास स्थान आबंटित किया है, मकान किराया भत्ता निम्नलिखित होगा :

तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दर
i. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नवीं मुंबई, हैदराबाद, बैगलुरु 45 लाख और अधिक की संख्या के अन्य शहर ।	वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम 3200 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
ii. ऊपर (i) में वर्णित नगरों से भिन्न नगर जिनकी जनसंख्या 12 से अधिक और 45 लाख से कम है, गोवा राज्य में कोई नगर ।	वेतन का 8 प्रतिशत अधिकतम 2700 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
iii. अन्य स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत अधिकतम 2600 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजनार्थ,–

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ।

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं ।

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन में वृद्धियां और नियत वैयक्तिक भत्ता ।" ;

(v) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"7. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता : वर्ग I अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ता निम्नलिखित होगा :

तैनाती का स्थान	नगर प्रतिकारात्मक भत्ते की दर
i. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियांबाद, गुड़गांव, नवीं मुंबई, हैदराबाद, बैगलुरु 45 लाख	वेतन का 3 प्रतिशत अधिकतम 800 रुपए प्रतिमास के अधीन

और अधिक की संख्या के अन्य शहर ।	रहते हुए
ii. ऊपर (i) में वर्णित नगरों से भिन्न नगर जिनकी जनसंख्या 12 से अधिक और 45 लाख से कम है, गोवा राज्य में कोई नगर ।	वेतन का 2.5 प्रतिशत अधिकतम 760 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
iii. वे नगर जिनकी आबादी पांच लाख और उससे अधिक हैं किंतु बारह लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की राजधानियां जिनकी आबादी बारह लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पुडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर और पंचकुला नगर ।	वेतन का 2 प्रतिशत अधिकतम 590 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजनार्थ,--

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे ;

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं ;

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन और नियम 4क के अधीन मूल वेतन में वृद्धियां ।" ;

(vi) नियम 7क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"7क. पर्वतीय स्थान भत्ता :--

क्रम सं.	स्थान (1)	दर (2)
1	1500 मीटर और औसत समुद्री तल से ऊंचाइ पर अवस्थित स्थानों पर तैनात	मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 460 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए
2	मेरकारा और ऐसे स्थानों मे जो केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए 'पर्वतीय स्थान' के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से घोषित 1,000 मीटर से अधिक किंतु	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 370 रुपए प्रतिमास के अधीन

	1,500 मीटर से कम औसत समुद्री तल से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों पर तैनात	रहते हुए
3	औसत समुद्री तल से अधिक 750 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित जो 1000 मीटर और उससे अधिक औसत समुद्री तल की ऊंचाई पर, पहाड़ियों से घिरे हुए हैं और जहां केवल पहाड़ियों के बीच से ही पहुंचा जा सकता है, स्थानों पर तैनात	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 370 रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए

(vii) नियम 7ख में "150 रुपए" अंकों और शब्द के स्थान पर "300 रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(viii) नियम 7ग में "500 रुपए" अंकों और शब्द के स्थान पर "680 रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ix) नियम 8 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**8(1). भविष्य निधि :** ऐसे अधिकारी से भिन्न प्रत्येक वर्ग I अधिकारी जो निगम के परिवीक्षा पर या अस्थाई आधार पर नियुक्ति कोई अधिकारी या कोई नियुक्ति पर अधिकारी या 1.4.2010 के पश्चात् या ओरियेन्टल सरकार सुरक्षा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का स्थानांतरित कर्मचारी जो उस कंपनी को पेंशन निधि का अभिदाता है । उसके वेतन का दस प्रतिशत की दर पर निगम द्वारा स्थापित की गई भविष्य निधि को प्रत्येक मास में अभिदान करेगा । निगम प्रत्येक ऐसे अधिकारी के वास्तविक अंशदान के समान रकम भविष्य निधि को अंशदान करेगा ।

परंतु निगम भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 द्वारा शासित किसी ऐसे अधिकारी के भविष्य निधि का कोई ऐसे अंशदान अपेक्षित नहीं किया जाएगा ।"

(x) नियम 9ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9ख परिवहन भत्ता : ऐसे अधिकारी से भिन्न प्रत्येक वर्ग I अधिकारी को जो निगम की किसी स्कीम के अधीन कोई सवारी भत्ता प्राप्त कर रहा है, 800 रुपए प्रतिमास का उक्त परिवहन भत्ता संदत्त किया जाएगा ।" ;

(xi) नियम 9ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

(xii) "9ग उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन (पीएलएलआई) : निगम के वर्ग I अधिकारियों को उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन निम्नलिखित रूप में संदत्त किया जाएगा :

(i) 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित विवरण पर आधारित प्रतिमानों के आधार पर संपूर्णतया निगम के निष्पादन पर आधारित संदेय होगा ;

(ii) बोर्ड आगे 1 अप्रैल, 2010 तक की अवधि के लिए आशयित प्रत्येक वर्ष के विवरण के आधार पर अपने अधिकारियों के लिए उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के प्रतिमानों को सूत्रबद्ध करने और मानक निष्पादन के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सशक्त करेगा ;

(क) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन 1 अगस्त, 2007 को वर्ग I अधिकारियों के व्यष्टि के पुनरीक्षण वार्षिक वेतन का 6 प्रतिशत तक 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत आदि स्तरों पर संदेय होगा ।

(ख) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन निगम के संपूर्ण रूप से निष्पादन पर कारपोरेट कार्यालय के अधिकारियों को संदेय होगा ।

(ग) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संपूर्ण जोन के निष्पादन के आधार पर जोनल कार्यालय के अधिकारियों को संदेय होगा ।

(घ) उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संपूर्ण डिविजन के निष्पादन के आधार पर डिविजनल/शाखा कार्यालय के अधिकारियों को संदेय होगा ।

(ङ) जोनल कार्यालय/डिविजनल कार्यालय/शाखा कार्यालय के लिए उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन न्यूनतम प्रवेश उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन कारपोरेट स्तर का पचास प्रतिशत होगा ।

टिप्पण : इन नियमों के प्रयोजन के लिए वार्षिक वेतन से अभिप्रेत है –
(1) विद्यमान अधिकारियों के संबंध में 1 अगस्त, 2007 को पूर्व पुनरीक्षित मूल वेतनमान, महंगाई भत्ते और नियत वैयक्तिक भत्ते ;

(2) 1 अगस्त, 2007 को पूर्व पुनरीक्षित मूल वेतन, महंगाई भत्ते, जो उस प्रक्रम के सदृश जहां उसका वेतन 1 अगस्त, 2007 के पश्चात् नियुक्त किए गए उन अधिकारियों के संबंध में नियुक्ति पर नियत किए गए हैं";

(xiii) नियम 9घ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9घ पारादीप पत्तन भत्ता : पारादीप में कार्यालयों में कार्यरत प्रत्येक वर्ग I अधिकारी को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख या पारादीप में सेवारंभ की तारीख, जो भी बाद में हो, के पश्चात्वर्ती मास की पहली तारीख से 110 रुपए प्रतिमास "पारादीप पत्तन भत्ता" संदाय किया जाएगा । यह भत्ता किन्हीं फायदों के लिए पंक्ति में नहीं होगा ।" ;

[फा. सं. एस-11012/05-2008-आईएनएस. III(i)]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव (इंश्योरेंस और पेंशन)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केंद्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ग I अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन दे दिया है । तद्नुसार, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ग I अधिकारी (सेवा के लिए निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण) नियम, 1985 का संशोधन किया जा रहा है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. सं. 794(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 960(अ), तारीख 7 दिसंबर, 1987, सा.का.नि. सं. 493(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1988, सा.का.नि. सं. 872(अ), तारीख 22 अगस्त, 1988 सा.का.नि. सं. 711(अ), तारीख 25 जुलाई, 1989, सा.का.नि. सं. 816(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 1990, सा.का.नि. सं. 324(अ), तारीख 10 मार्च, 1992, सा.का.नि. सं. 53(अ), तारीख 2 फरवरी, 1994, सा.का.नि. सं. 597(अ), तारीख 30 जून, 1995, सा.का.नि. सं. 94(अ), तारीख 16 फरवरी, 1996, सा.का.नि. सं. 286(अ), तारीख 18 जुलाई, 1996, सा.का.नि. सं. 530(अ), तारीख 27 अगस्त, 1998, सा.का.नि. सं. 612(अ), तारीख 30 अगस्त, 1999, सा.का.नि. सं. 550(अ), तारीख 22 जून, 2000, सा.का.नि. सं. 287(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2004, सा.का.नि. सं. 559(अ), तारीख 5 सितंबर, 2005, सा.का.नि. सं. 305(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2007 और सा.का.नि. सं. 631(अ), तारीख 2 सितंबर, 2009 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2010

G.S.R. 824(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely:-

1. **Short title, commencement and application** .- (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2010.

(2) Save as otherwise provided in these rules, these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2007:

Provided that where any Class I Officer gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules from a date not earlier than the date on which the said rules come into force and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such Officer to be governed by the said rules with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such officer.

(3) These rules shall be applicable to those Class I Officers who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation on or after the 1st August, 2007: